HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 15th March, 2022

No. G.S.R. 3/Const./Art. 309/2022.— In exercise of the powers conferred under the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules, 2012, namely:—

- 1. These rules may be called the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service (Amendment) Rules, 2022.
- 2. In the Haryana School Education (Group C) State Cadre Service Rules, 2012, in Appendix B, against serial number 1, under column (4), for item (i) existing twice, the following entry shall be added at the end, namely:-

"OR

Shastri with atleast 50% marks from a recognized university and Shiksha Shastri/Language Teachers Course (L.T.C.)/Oriental Training (O.T.) in Sanskrit conducted by the Haryana Government or an equivalent qualification recognized by Haryana Education Department;".

DR. MAHAVIR SINGH, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, School Education Department.

9525-L.R.-H.G.P., Pkl.

भाग-III

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 मार्च, 2022

संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2022.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1. ये नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा (संशोधन) नियम, 2022 कहे जा सकते हैं।
- 2. हरियाणा विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ग) राज्य संवर्ग सेवा नियम, 2012 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 4 के नीचे, दो बार आने वाली मद (i) के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"अथवा

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित शास्त्री तथा शिक्षा शास्त्री / हरियाणा सरकार द्वारा संचालित संस्कृत में भाषा प्रशिक्षण कोर्स (एल०टी०सी०) / ओरिएन्टल ट्रेनिंग (ओ०टी०) या हरियाणा शिक्षा विभाग से मान्यताप्राप्त समकक्ष योग्यताए:"।

डा. महावीर सिंह, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग।